

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)(ए.पी.ओ.)/अलेसे-III/4446

दिनांक:- 25/09/2019

आदेश संख्या 499 / 2018-19

विभागीय आदेश संख्या 489/2019-20 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची, मारवाड़ जंक्शन, पाली से उपकोषालय, मकराना, नागौर में किया गया था, लेकिन नागौर जिले में विधानसभा उपचुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन्हें पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप कॉलम सं. 5 में अंकित तिथि से आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर कॉलम 6 में अंकित (आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय) विभाग/कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

क्र. स.	लिंक नं.	नाम क.लेखाकार (सर्वश्री)	आदेशों की प्रतीक्षा से पूर्व पदस्थापित कार्यालय का नाम	आदेशों की प्रतीक्षा में लिये जाने की तिथि	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12163	मुकेश कुमार	कार्यालय कनिष्ठ विशेषज्ञ (वरिष्ठ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची, पाली	24.09.2019	कोषालय, नागौर।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)(ए.पी.ओ.)/अलेसे-III/4446

दिनांक:- 25/09/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
3. कोषाधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि विधानसभा उपचुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्ति के तुरन्त पश्चात श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार को नवीन पदस्थापन कार्यालय उपकोषालय, मकराना (नागौर) के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए विभाग को अवगत करावें।
4. श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में कॉलम 6 में अंकित अनुसार मुख्यालय पर अविलम्ब आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को तुरंत भिजवावें।
5. अतिरिक्त निजी सहायक निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)